भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं. 28 (आर ई-2012)/2009-14

नई दिल्ली, दिनांक 03 जनवरी, 2013

विषयः- ताजे अंगूर, मूँगफली, मटर और इसके उत्पादों के निर्यात के संबंध में प्रमाणन की आवश्यकता ।

सा.आ. (अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है ।

2. निर्यात एवं आयात मद के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 8 में क्रम सं0 54क पर तत्काल प्रभाव से एक नई प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी गई हैः

अध्याय - 8

खाद्य फल और गिरियाँ; साइट्रस फल अथवा खरबूजे के छिलके

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरुप
54क	08061000	किग्रा.	अंगूर, ताजे अथवा सूखे	मुक्त	यूरोपीय संघ को निर्यात एपीडा के साथ पंजीकरण के अधीन अनुमत है ।

3. निर्यात एवं आयात मद के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 12 में क्रम सं0 66 की प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरुप
66	12021000	किग्रा.	मूँगफली (मटर) और उनके उत्पाद खोल सहित	मुक्त	(क) सभी देशों (रुसी परिसंघ के निर्यातों को छोड़कर) को निर्यात एपीडा द्वारा उनकी वेबसाइट www.apeda.gov.in/apedawebsite/HACCP/recognized_laboratories.pdf पर मान्यता प्राप्त प्रयोग- शालाओं (समय-समय पर यथा अद्यतन) द्वारा जारी कंट्रोल्ड एफ्लाटाक्सिन स्तर प्रमाणपत्र सहित एपीडा से पंजीकरण के अधीन अनुमत है । (ख) रुसी परिसंघ को निर्यात निम्नलिखित द्वारा जारी पूर्व-पोतलदान गुणवत्ता प्रमाण पत्र के अधीन अनुमत है : (1) इनसैक्टीसाइड रेज़ीड्यू टैस्टिंग लैबोरेट्री (2) जियो-कैम लैबोरेट्रीज प्रा0लि0 (3) रिलाएबल एनालैटिकल लैबोरेट्री (4) एरब्रोफार्मास्युटिकल लिमिटेड (5) श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च, दिल्ली (6) श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च, शाखा कार्यालय बंगलौर (7) दिल्ली टैस्ट हाऊस, और (8) विमता लैब्ज़ अथवा समय-समय पर यथाअधिसूचित कोई अन्य एजेंसी

4. निर्यात एवं आयात मद के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 12 में क्रम सं0 67 की प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरुप
67	12021010	किग्रा.	मूँगफली (बीज का प्रकार)	मुक्त	(क) सभी देशों (रुसी परिसंघ के निर्यातों को छोड़कर) को निर्यात एपीडा द्वारा उनकी वेबसाइट www.apeda.gov.in/

	12021019	किग्रा.	मूँगफली (अन्य)		apedawebsite/ HACCP/ recognized_laboratories.pdf पर मान्यता प्राप्त प्रयोग- शालाओं (समय-समय पर यथा अद्यतन) द्वारा जारी कंट्रोल्ड एफ्लाटाक्सिन स्तर प्रमाणपत्र सहित एपीडा से पंजीकरण के अधीन अनुमत है । (ख) रुसी परिसंघ को निर्यात निम्नलिखित द्वारा जारी पूर्व-पोतलदान गुणवत्ता प्रमाण पत्र के अधीन अनुमत है: (1) इनसैक्टीसाइड रेज़ीड्यू टैस्टिंग लैबोरेट्री (2) जियो-कैम लैबोरेट्रीज प्रा0लि0 (3) रिलाएबल एनालैटिकल लैबोरेट्री (4) एरब्रोफार्मास्युटिकल लिमिटेड (5) श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च, दिल्ली (6) श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च, शाखा कार्यालय बंगलौर (7) दिल्ली टैस्ट हाऊस, और (8) विमता लैब्ज़ अथवा समय-समय पर यथाअधिसूचित कोई अन्य एजेंसी
			मूँगफली (बीज का प्रकार)		
	12021099	किग्रा.	मूँगफली (अन्य)		
			मूँगफली (खोल, एचपीएस)		
	12022090	किग्रा.	मूँगफली (अन्य)		

5. निर्यात एवं आयात मद के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 20 में क्रम सं0 93क पर तत्काल प्रभाव से एक नई प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी गई है:

अध्याय - 20

वनस्पति, फल, गिरी या पौधों के अन्य भाग के तैयार उत्पाद

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरुप
93क	20081100	किग्रा.	मूंगफलियाँ अन्यथा तैयार या संरक्षित हों,चाहे साथ में मिश्रित हों या न हों और चाहे शर्करा	मुक्त	(क) सभी देशों (रुसी परिसंघ के निर्यातों को छोड़कर) को निर्यात एपीडा द्वारा उनकी वेबसाइट www.apeda.gov.in/apedawebsite/ HACCP/recognized_laboratories.pdf पर मान्यता प्राप्त प्रयोग- शालाओं (समय-समय पर यथा अद्यतन) द्वारा जारी

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरुप
			युक्त हो या न हो अथवा इसमें अन्य मीठा करने वाले पदार्थ हों या न हों।		कंट्रोल्ड एफ्लाटाक्सिन स्तर प्रमाणपत्र सहित एपीडा से पंजीकरण के अधीन अनुमत है । (ख) रुसी परिसंघ को निर्यात निम्नलिखित द्वारा जारी पूर्व-पोतलदान गुणवत्ता प्रमाण पत्र के अधीन अनुमत है:- (1) इनसैक्टीसाइड रेज़ीड्यू टैस्टिंग लैबोरेट्री (2) जियो-कैम लैबोरेट्रीज प्रा0लि0 (3) रिलाएबल एनालैटिकल लैबोरेट्री (4) एरब्रोफार्मास्युटिकल लिमिटेड (5) श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च, दिल्ली (6) श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च, शाखा कार्यालय बंगलौर (7) दिल्ली टैस्ट हाऊस, और (8) विमता लैब्ज़ अथवा समय-समय पर यथाअधिसूचित कोई अन्य एजेंसी

6. इस अधिसूचना का प्रभावः

i) यूरोपियन संघ को अंगूर के निर्यात के लिए एपीडा से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा ।

ii) रुसी परिसंघ के सिवाय सभी देशों को मूंगफली और उसके उत्पादों के निर्यात के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का एफ्लेटोक्सीन स्तर नियंत्रित प्रमाणपत्र के साथ-साथ एपीडा से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । पूर्व में केवल यूरोपियन संघ को निर्यात के लिए कंट्रोल्ड एफ्लेटोक्सीन स्तर प्रमाणपत्र सहित एपीडा से संविदा का पंजीकरण अनिवार्य था ।

iii) रुसी परिसंघ को मूंगफली और उसके उत्पादों का निर्यात अधिसूचित प्रयोगशालाओं द्वारा पूर्व पोतलदान प्रमाणपत्र के आधार पर जारी रहेगा ।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेल : dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/923/ए एम-08/पी.सी. 3/निर्यात सैल से जारी)